सं0-41/2015/974/62-2-2015-14एम0आई0/97टीसी-।।।ए

प्रेषक,

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिचाई विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 13 मार्च,2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में जिला योजनान्तर्गत गहरी बोरिंग योजना (सामान्य) एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत की जाने वाली बोरिंगों में जल वितरण प्रणाली की स्थापना हेतु आई0एस0 कोड-14151(पार्ट-2/2008) के अन्तर्गत एच0डी0पी0ई0 पाइप 110 एम0एम0 नामिनल डायामीटर, 0.25 एम0पी0ए0 (क्लाज-1) मय आवश्यक फिटिंग के क्रय की प्रशासनिक स्वीकृति!

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-जी-24/ल0सिं0/भ0आ0/डी0बी0-एच0डी0पी0ई0-110/2014-15, दिनांक 09-03-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उघोग अनुभाग-7 के शासनादेश सं0-2177एल/18-7-94-15(एस0 पी0)/92, दिनांक 17-10-1994 में दी गयी व्यवस्थानुसार गठित क्रय समिति द्वारा संस्तुंति दे दी गयी है, वित्तीय वर्ष 2014-15 में गहरी बोरिंग की योजना (सामान्य) एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु आवंटित धनराशि से निर्मित की जाने वाली गहरी बोरिंग योजनान्तर्गत क्रमश: 09 एवं 639 कृषकों के लिए निर्मित बोरिंगों में जल वितरण प्रणाली की स्थापना हेतु 110 एम0एम0 नामिनल डायामीटर, 0.25 एम0पी0ए0 (क्लास-1) मय आवश्यक फिटिंग्स आई0एस0 कोड-14151 (पार्ट-2/2008), सहज संजोयी पालीयेथिलीन पाइप एवं फिटिंग सेट की प्राप्त आईटमवार दरों के आधार पर निम्नलिखित तालिका ए एवं बी के अनुसार क्रय किये जाने की प्रशासनिक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

तालिका-ए

S. NO.	DESCRIPTION OF ITEM	REQUIRED QTY. UNDER AVAILABLE BUDGET	BASIC RATE EX-WORKS (RS.)	AVERAGE FREIGHT ANYWHERE IN U.P. AT THEIR CENTRAL DISTRICT STORE (RS.)	F.O.R. DESTINATION RATES EXCLUDING VAT ETC. (RS.) (4)+(5)
1	2	3	4	5	6
1-	ISI MARKED **110 MM** NOMINAL DIAMETER, 0.25 MPA (CLASS-I) QUICK COUPLED POLYETHYLENE PIPE (HDPE PIPE) IN LENGTH OF 6.0 METER (± 0.01 METER) IS CODE 14151(PART-2):2008 WITH LATEST AMENDMENTS.	1,080 METER	138.50 PER METER	7.75 PER METER	146.25 PER METER
2-	ONE SET OF ISI MARKED FITTINGS (ONE NUMBER 90^0 BEND, ONE NUMBER 90^0 TEE, ONE NUMBER ENDS CAP AND ONE NUMBER PUMP CONNECTING NIPPLE) SUITABLE TO FIT WITH ABOVE PIPE IS CODE 14151(PART-2):2008 WITH LATEST AMENDMENTS,	9 SET	1130.00 PER SET	90.00 PER SET	1220.00 PER SET

नोट:-कालम-6 में दर्शायी गयी दरों के अतिरिक्त **VAT etc.** तत्समय प्रचलित दरों पर नियमानुसार अलग से देय होगा।

तालिका -बी

S. NO.	DESCRIPTION OF ITEM	REQUIRED QTY. UNDER AVAILABLE BUDGET	BASIC RATE EX-WORKS (RS.)	AVERAGE FREIGHT ANYWHERE IN U.P. AT THEIR CENTRAL DISTRICT STORE (RS.)	F.O.R. DESTINATION RATES EXCLUDING VAT ETC. (RS.) (4)+(5)
1	2	3	4	5	6
1-	ISI MARKED **110 MM** NOMINAL DIAMETER, 0.25 MPA (CLASS-I) QUICK COUPLED POLYETHYLENE PIPE (HDPE PIPE) IN LENGTH OF 6.0 METER (± 0.01 METER) IS CODE 14151(PART-2):2008 WITH LATEST AMENDMENTS.	76,680 METER	138.50 PER METER	7.75 PER METER	146.25 PER METER
2-	ONE SET OF ISI MARKED FITTINGS (ONE NUMBER 90^0 BEND, ONE NUMBER 90^0 TEE, ONE NUMBER	639	1130.00	90.00	1220.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	ENDS CAP AND ONE NUMBER PUMP CONNECTING NIPPLE) SUITABLE TO FIT WITH ABOVE PIPE IS CODE 14151(PART-2):2008 WITH LATEST AMENDMENTS,	SET	PER SET	PER SET	PER SET

नोटः-कालम-6 में दर्शायी गयी दरों के अतिरिक्त **VAT etc.** तत्समय प्रचलित दरों पर नियमानुसार अलग से देय होगा।

2- <u>शर्ते/प्रतिबन्ध</u>

(1) उपर्युक्त सभी पाइप का क्रय टेण्डर प्रपत्र में उल्लिखित निर्धारित विशिष्टियों एवं मानकों के अनुरूप ही किया जायेगा।

(2) उपर्युक्त पाइप का नियमानुसार भुगतान संबंधित योजना में उपलब्ध धनराशि से ही किया जायेगा।

(3) मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई सम्पूर्ण आपूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगें।

(4) उघोग विभाग के शासनादेश सं0-2177एल/18-7-94-15(एस0पी0)/92, दिनांक 17-10-1994 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत पाइप का क्रय, सामग्री क्रय नियमों के अनुसार है और प्रस्तावित पाइप उघोग निदेशालय, कानपुर द्वारा निर्णीत किये गये किसी दर अनुबन्ध के अन्तर्गत नही आता है।

(5) टेण्डर डाक्यूमेन्ट में उल्लिखित सभी प्राविधान फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के वाल्यूम-5, भाग-1 में उल्लिखित नियमों तथा टेण्डर संबंधी अन्य नियमों के अन्तर्गत है, क्रय समिति का गठन उघोग विभाग के शासनादेश के अनुकूल है तथा क्रय हेतु वांछित पर्याप्त धनराशि बजट में उपलब्ध है।

(6) उपर्युक्त पाइप का नियमानुसार भुगतान जिला योजना (सामान्य) के अन्तर्गत गहरी बोरिंग तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत् की जाने वाली बोरिंगों मे उपलब्ध धनराशि से ही किया जायेगा।

(7) जो भी मात्रा या आंकलन मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसके आंकलन का उत्तरदायित्व भी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई का होगा। वह यह भी सुनिश्चित करेंगें कि किसी भी परिस्थिति में अनावश्यक क्रय न किया जाय।

(8) प्रस्तावित पाइप एवं फिटिंग की मात्रा निविदित सीमा के अन्तर्गत् है और निविदा की शर्तो के अनुसार है।

3- उक्त शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अक्षरशः एवं कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का दायित्व मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई का होगा।

भवदीय,

ह0/

(चन्द्र प्रकाश)

प्रमुख सचिव।

<u>सं0-41/2015/974(1)/62-2-2015,तद्दिनांकः-</u>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0 प्र0 शासन।

2- प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- सचिव, लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उघम अनुभाग-2, उ0 प्र0 शासन।

4- उद्योग निदेशक, (सामग्री क्रय अनुभाग) उ0 प्र0 कानपुर।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।